

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या—9/उपांकीट०अनु०-०७/2007—
प्रेषक,

/क०, पटना, दिनांक

,2015.

धर्मेन्द्र सिंह, मा०प्र०स०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स बिहार मिनरल्स इन्डस्ट्रीज,
'बी०', केटेगरी शेड, इन्डस्ट्रीयल इस्टेट,
लखीसराय—811311

विषय :— कीटनाशी विनिर्माण अनुज्ञाप्ति संख्या—14 दिनांक—13.06.2005 का नवीकरण
के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान, सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन एवं सुसंगत कागजातों के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 में निहित प्रावधानों के आलोक में स्वनिर्मित निम्नलिखित कीटनाशियों से संबंधित विनिर्माण अनुज्ञाप्ति सं०—14 दिनांक 13.06.2005 का नवीकरण 31.12.2016 तक के लिए किया जाता है।

क्र०	कीटनाशी का नाम	क्र०	कीटनाशी का नाम
1	Malathion 5% D.P	4	Butachlor 5% GR
2	Dimethoate 30% EC (W/W)	5	Phorate 10% C.G
3	Methylparathion 2% D.P	6	Cartap Hydrochloride 4% GR

2—उपरोक्त कीटनाशी का प्रतिष्ठान द्वारा भण्डारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा— मेसर्स बिहार मिनरल्स इन्डस्ट्रीज, 'ए' केटेगरी शेड, इन्डस्ट्रीयल इस्टेट, लखीसराय—811311

3—यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4 अनुज्ञाप्त प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/ भंडारण/ विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5—भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6—अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

8—अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

9—कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञाप्ति सं०—14 दिनांक 13.06.2005 मूल रूप में संलग्न है। कृपया पावती की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)


कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक २२७३

/क०, पटना, दिनांक १६-०५-२०१५

प्रतिलिपि— (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बैवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


कृषि निदेशक, बिहार, पटना।